



Neutral Citation No. - 2026:AHC:707

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45628 वर्ष 2024**

प्रेमशीला उर्फ परमशीला

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मनौवर हुसैन, मोहम्मद समीउज्जमान खान, सद्दाम हुसैन, जैनुद्दीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक की ओर से आज दाखिल किया गया अनुपालन हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमान खान और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए-1 डॉ. एस. बी. मौर्य की दलीलें सुनी गईं। यह आवेदन आवेदक को निम्न न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



2. यह आवेदन आईपीसी की धारा 323, 504, 326 और 302 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 179/2023, पुलिस स्टेशन अतरौलिया, जिला आजमगढ़ से संबंधित है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 3.10.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। वे दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर कर रहे हैं कि आवेदक 7.8.2023 से यानी लगभग ढाई साल से जेल में हैं और आज तक 22 अभियोजन गवाहों में से केवल दो की ही जांच हो सकी है।

4. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उनके द्वारा दायर की गई एसएलपी (शिकायत याचिका) को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की लंबी कैद को देखते हुए, संबंधित न्यायालय से मुकदमे की वर्तमान स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मंगाई गई थी, जो रिकॉर्ड में है और रिपोर्ट से पता चलता है कि 22 गवाहों में से केवल दो की ही अब तक जांच हो सकी है और आवेदक के खिलाफ मुकदमे में देरी करने का कोई आरोप नहीं है।

6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक मृतक की जेठानी है और मृतक ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि आवेदक ने अपने पति के साथ मिलकर उसे जला दिया था, लेकिन आवेदक की लंबी कैद को देखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह महिला है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



7. उन्होंने आगे कहा कि किसी आरोपी के शीघ्र सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार है और गंभीर मामलों में भी इसके उल्लंघन पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

8. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आवेदक जो जेठानी है, ने अपने पति के साथ मिलकर उन्हें जला दिया था।

10. उन्होंने आगे कहा कि जब आवेदक ने इस न्यायालय द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (शपथ पत्र) दायर की थी, तब भी उसे अपनी एसएलपी वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि आवेदक इस मामले में लगभग ढाई साल से जेल में है और आज तक आरोपपत्र में उल्लिखित 22 गवाहों में से केवल दो गवाहों की ही जांच हो सकी है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रही है।

11. वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक महिला हैं और उनका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले का रिकॉर्ड देखा।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



11. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और इस न्यायालय ने उसकी पहली जमानत याचिका को इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज कर दिया था कि वह मृतक की जेठानी थी और मृतक ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि आवेदक ने अपने पति के साथ मिलकर उसे जला दिया था, लेकिन इससे पता चलता है कि आवेदक 7.8.2023 से यानी लगभग ढाई साल से इस मामले में जेल में बंद है और आज तक आरोपपत्र के 22 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच की जा सकी है।

12. इसके अलावा, संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रही है।

13. हालांकि, इससे यह पता चलता है कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक की पहली जमानत याचिका पर पारित जमानत अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध, उसने एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3665/25 दायर की थी, लेकिन इसे 4.3.2024 को वापस ले लिया गया था।

14. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शेख जावेद इकबाल उर्फ अशफाक अंसारी उर्फ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1755 और भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** के मामलों में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार आरोपी का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर गंभीर मामलों में भी आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, को खारिज नहीं किया जा सकता।

15. इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रहा है और संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गवाह सुनवाई

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए, प्रथम प्रथम ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

16. इसके अलावा, आवेदक महिला है और इस मामले के अलावा उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

17. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

19. आवेदक **प्रेमशीला उर्फ परमशीला** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



20. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

5 जनवरी, 2026

अंकिता

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*